न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88
प्रकरण संख्या–197/2020

बिनवली खॉन पुत्र मोहम्मद दीन जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01.01.2021

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 2 आरके जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 8/8 में कुल 6.325 है0 आराजी मे से 14759/63250 हिस्सा कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का नाम विनबअलीखॉ दर्ज है।

वादपत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृर्षि भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का नाम विनबअलीखॉ दर्ज है जबकि वादी का सही नाम बिनवली खॉन है। वादी के राशनकार्ड, पैनकार्ड तथा वादी के शिक्षा के दस्तावेजात अंकतालिका में वादी का सही नाम बिनवली खॉन दर्ज है। वादी के राशनकार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका की फोटो प्रतियॉ संलग्न वाद पत्र है। बिनवली खॉन व विनबअलीखॉ मुझ वादी के नाम ही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनबअलीखॉ अंकित रहने से व वादी के नाम में भिन्नता बने रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।इसलिए वादी चकनं0 2 आरके जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 8/8 में अंकित विनबअलीखॉ नाम को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर बिनवली खॉन नाम अंकित करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादी का नाम विनबअलीखॉ के स्थान बिनवली खॉन नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।वादी द्वारा अपना स्वंय का स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी अंकित किया गया कि वादी का सही नाम बिनवली खॉन है लेकिन जमाबन्दी में सहबन से विनबअलीखॉ अंकित है जिसको दुरूस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम विनबअलीखॉ दर्ज है जबकि वादी का सही नाम बिनवली खॉन है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम विनबअलीखॉ के स्थान पर बिनवली खॉन दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादी के राशनकार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका की फोटो प्रतियो में वादी का नाम बिनवली खॉन है तथा वादी द्वारा स्टाम्प भी प्रस्तुत किया गया है।वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है। वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनने के बाद दस्तावेजों जमाबन्दीयों व स्टाम्प का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम विनबअलीखॉ नाम दर्ज है, वादी अपना सही नाम बिनवली खॉन दर्ज करवाना चाहता है, वादी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका में वादी का नाम बिनवली खॉन दर्ज है। वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है।इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 2 आरके जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 8/8 में अंकित वादी का नाम विनबअलीखॉ को दुरूस्त कर विनबअलीखॉ के स्थान पर बिनवली खॉन अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–197 / 2020

बिनवली खॉन पुत्र मोहम्मद दीन जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर. ए. एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 2 आरके जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 8 / 8 में अंकित वादी का नाम विनबअलीखॉ को दुरूस्त कर विनबअलीखॉ के स्थान पर बिनवली खॉन अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज......X.....निल......X........मुब्लिक.....X....निल........X.......बाबत्...X...
.........निल..............खर्चा मुकदमें के मय भद वा भारह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X..............अदा करे।

बसबत मेरे दस्ख्त एंव मुहर अदालत से आज दिनांक.....01.01.2021.....को जारी किया गया।

(मांगीलाल)

सहायक कलैक्टर एंव

उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) सत्यमेव जयते ★ टिब्बी